

प्रेषक

निदेशक

मत्स्य

उत्तर प्रदेश

सेवा में

- 1 उप निदेशक मत्स्य
- 2 सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण.....
- 3 आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांक: 621 / नियो0शा0 / मु.म.स.यो / 2022-23

दिनांक: 27 मार्च, 2023

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश, 8904-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0एम0एस0वाई), 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में कराते हुए पुनिर्विनियोग कराते हुए रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 11 / 2023 / 235 / सत्रह-म-2023-17-1002(099) / 3 / 2023 दिनांक: 21 मार्च 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश, 8904-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0एम0एस0वाई), 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में कराते हुए पुनिर्विनियोग कराते हुए रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि रू0 780.00 लाख का बजट आवंटित करते हुए व्यय किए जाने की अनुमति शासनादेश में दिए गए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 1 बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य / सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2 जिस मद से पुनिर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
- 3 जिस प्रायोजन हेतु धनराशि मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी।

- 4 जिस मद से पुनिर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
- 5 जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 6 आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- 7 धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकारी नहीं देता है, जिन मामलों में जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 8 व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 9 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 10 उक्त के सम्बन्ध में होने वाले व्यय रु 780.00 लाख (रु0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक: 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।
- 11 उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या...36...पर अंकित है।

भवदीय


(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:

/नियो0शा0/मु.म.स.यो/2022-23

उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
- 3- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 5- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
- 6- गार्ड फाइल।
- 7- श्री अंकुर सिंह वरिष्ठ सहायक को प्रेषित उक्त बजट को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक

निदेशक

मत्स्य

उत्तर प्रदेश

सेवा में

- 1 उप निदेशक मत्स्य
- 2 सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण.....
- 3 आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांक: /नियो0शा0 / मु.म.म.स.यो / 2022-23

दिनांक: 27 मार्च, 2023

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश, 8904-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0एम0एस0वाई), 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में कराते हुए पुनिर्विनियोग कराते हुए रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 11 / 2023 / 235 / सत्रह-म-2023-17-1002(099) / 3 / 2023 दिनांक: 21 मार्च 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश, 8904-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0एम0एस0वाई), 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन) में कराते हुए पुनिर्विनियोग कराते हुए रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि रू0 780.00 लाख का बजट आवंटित करते हुए व्यय किए जाने की अनुमति शासनादेश में दिए गए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 1 बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य / सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2 जिस मद से पुनिर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
- 3 जिस प्रायोजन हेतु धनराशि मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी।

- 4 जिस मद से पुनिर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
- 5 जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 6 आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- 7 धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकारी नहीं देता है, जिन मामलों में जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 8 व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 9 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 10 उक्त के सम्बन्ध में होने वाले व्यय रू 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक: 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।
- 11 उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या...36...पर अंकित है।

भवदीय

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक: 621 /नियो0शा0/मु.म.स.यो/2022-23 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
- 3- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 5- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
- 6- गार्ड फाइल।
- 7- श्री अंकुर सिंह वरिष्ठ सहायक को प्रेषित उक्त बजट को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित


(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-27/03/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1
001-CM MATSYA SAMPADA YOJNA ALLOT 27-03-2023
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
05 - मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	992016 1347216	992016 1347216
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1074138 1414618	1074138 1414618
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	831690 1020490	831690 1020490
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	955760 1048560	955760 1048560
5	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	867232 1307232	867232 1307232
6	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	891504 1035504	891504 1035504
7	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1091517 1248317	1091517 1248317
8	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1131773 1424573	1131773 1424573
9	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1119162 1279162	1119162 1279162
10	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1922781 2271581	1922781 2271581
11	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1062013 1294013	1062013 1294013

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
12	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	822678 1017878	822678 1017878
13	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1077795 1348195	1077795 1348195
14	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1060394 1341994	1060394 1341994
15	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	1060400 1244400	1060400 1244400
16	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1064115 1344115	1064115 1344115
17	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1147984 1467984	1147984 1467984
18	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	804720 1097520	804720 1097520
19	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1893834 2313034	1893834 2313034
20	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1808713 2051913	1808713 2051913
21	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	479462 609062	479462 609062
22	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	862221 1100621	862221 1100621
23	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1032918 1295318	1032918 1295318
24	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1214269 1715069	1214269 1715069
25	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	857725 1156925	857725 1156925
26	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	895277 1072877	895277 1072877
27	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	927584 1121184	927584 1121184
28	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	909203 1277203	909203 1277203
29	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1019763 1366963	1019763 1366963
30	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1054243 1273123	1054243 1273123
31	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	1041517 1333997	1041517 1333997

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
32	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी 1044720 1342320	1044720 1342320
33	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1497494 1716854	1497494 1716854
34	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1295728 1822128	1295728 1822128
35	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी 1043235 1307395	1043235 1307395
36	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1364947 1672147	1364947 1672147
37	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी 1348992 1804992	1348992 1804992
38	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1240054 1496054	1240054 1496054
39	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी 1013923 1109923	1013923 1109923
40	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1038250 1436650	1038250 1436650
41	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उत्राव	वर्तमान प्रगामी 953014 1300214	953014 1300214
42	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी 981402 1271002	981402 1271002
43	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1002406 1248806	1002406 1248806
44	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 870806 1106006	870806 1106006
45	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 851200 979200	851200 979200
46	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 977824 1235424	977824 1235424
47	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी 1636854 1928534	1636854 1928534
48	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी 989325 1218125	989325 1218125
49	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 2287450 2844250	2287450 2844250
50	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहूजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी 722240 930240	722240 930240
51	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1061408 1418208	1061408 1418208

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
52	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 954592 1274592	954592 1274592
53	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1881469 2449469	1881469 2449469
54	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 992621 1223021	992621 1223021
55	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1117971 1479571	1117971 1479571
56	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 956227 1105027	956227 1105027
57	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1111360 1680960	1111360 1680960
58	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1039782 1278182	1039782 1278182
59	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 995229 1135709	995229 1135709
60	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1458362 1709562	1458362 1709562
61	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1314077 1827677	1314077 1827677
62	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1891318 2258198	1891318 2258198
63	भौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 876451 1034851	876451 1034851
64	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1023635 1319635	1023635 1319635
65	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 927165 1189565	927165 1189565
66	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1127072 1503072	1127072 1503072
67	कौशाभी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1061341 1341341	1061341 1341341
68	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1013213 1253213	1013213 1253213
69	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1011661 1296461	1011661 1296461
70	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रणामी 1050781 1210781	1050781 1210781
	योग	वर्तमान प्रणामी 78000000 98000000	78000000 98000000

महायाग- (वतमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया सात कराड़ अस्सा लाख
रूपया नौ करोड़ अस्सी लाख

(रवींद्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी



Digitally signed by RAVINDRA PRATAP SINGH
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2023.03.27 02:55:14 +05:30

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पुनर्विनियोग से प्राप्त धनराशि ₹0 780.00 लाख सापेक्ष लक्ष्य व धनराशि का धनराशि का आवंटन

सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश

क्रं	जनपद	कुल चयनित लाभार्थी	कुल क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व चयनित लाभार्थियों की संख्या	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल (हे0)	पूर्व आवंटित धनराशि (₹0 लाख में)	शेष क्षेत्रफल (हे0) (3-5)	अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित किया जा रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0)	आवंटित अतिरिक्त धनराशि (₹0 लाख में)	कुल आवंटित धनराशि (₹0 लाख में) (6+10)	आवंटित की जाने वाली प्रशासनिक व्यय की धनराशि	जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल अतिरिक्त धनराशि (₹0 लाख में) (10+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGRA	11	12.1180	1	1.8300	2.92800	10.2880	6	6.8990	11.03840	13.96640	0.27933	11.31773
2	FIROZABAD	13	7.0260	2	0.9300	1.48800	6.0960	10	5.8410	9.34560	10.83360	0.21667	9.56227
3	MATHURA	8	15.0620	1	0.9800	1.56800	14.0820	5	6.6690	10.67040	12.23840	0.24477	10.91517
4	MAINPURI	15	9.8670	1	1.0000	1.60000	8.8670	6	6.8380	10.94080	12.54080	0.25082	11.19162
	(AGRA)	47	44.0730	5	4.7400	7.58400	39.3330	27	26.2470	41.99520	49.57920	0.99158	42.98678
5	ALIGARH	14	10.5620	1	0.9000	1.44000	9.6620	6	5.4450	8.71200	10.15200	0.20304	8.91504
6	ETAH	11	8.8570	1	1.2800	2.04800	7.5770	8	6.3600	10.17600	12.22400	0.24448	10.42048
7	HATHRAS	9	7.2930	2	1.6400	2.62400	5.6530	7	5.6490	9.03840	11.66240	0.23325	9.27165
8	KASGANJ	15	11.3290	1	0.9000	1.44000	10.4290	7	5.3790	8.60640	10.04640	0.20093	8.80733
	(ALIGARH)	49	38.0410	5	4.7200	7.55200	33.3210	28	22.8330	36.53280	44.08480	0.88170	37.41450
9	AMBEDKAR NAGAR	94	72.5060	5	2.2930	3.66880	70.2130	18	11.5440	18.47040	22.13920	0.44278	18.91318
10	AYODHYA	36	27.8840	3	1.6100	2.57600	26.2740	7	5.9600	9.53600	12.11200	0.24224	9.77824
11	BARABANKI	183	151.3020	5	3.4800	5.56800	147.8220	20	13.9480	22.31680	27.88480	0.55770	22.87450
12	SULTANPUR	71	63.4790	2	1.4300	2.28800	62.0490	7	6.0340	9.65440	11.94240	0.23885	9.89325
13	AMETHI	25	10.8150	3	1.3000	2.08000	9.5150	9	4.4000	7.04000	9.12000	0.18240	7.22240
	(AYODHYA)	409	325.9860	18	10.1130	16.18080	315.8730	61	41.8860	67.01760	83.19840	1.66397	68.68157
14	AZAMGARH	77	60.3370	1	1.6000	2.56000	58.7370	11	7.5670	12.10720	14.66720	0.29334	12.40054
15	BALLIA	12	7.7010	1	0.6000	0.96000	7.1010	10	6.2010	9.92160	10.88160	0.21763	10.13923
16	MAU	36	29.2040	1	1.4400	2.30400	27.7640	7	6.0540	9.68640	11.99040	0.23981	9.92621
	(AZAMGARH)	125	97.2420	3	3.6400	5.82400	93.6020	28	19.8220	31.71520	37.53920	0.75078	32.46598
17	SHAHJAHANPUR	10	9.2360	2	1.7500	2.80000	7.4860	7	6.4860	10.37760	13.17760	0.26355	10.64115
18	PILIBHIT	24	24.9470	1	2.0000	3.20000	22.9470	7	6.9950	11.19200	14.39200	0.28784	11.47984
19	BUDAUN	17	14.7690	2	1.2200	1.95200	13.5490	7	5.0170	8.02720	9.97920	0.19958	8.22678
20	BAREILLY	23	16.3780	3	1.4500	2.32000	14.9280	12	6.4790	10.36640	12.68640	0.25373	10.62013
	(BAREILLY)	74	65.3300	8	6.4200	10.27200	58.9100	33	24.9770	39.96320	50.23520	1.00470	40.96790
21	BASTI	110	74.3110	3	1.9200	3.07200	72.3910	9	8.3260	13.32160	16.39360	0.32787	13.64947
22	SIDHARTHANAGAR	48	36.2330	3	2.2600	3.61600	33.9730	10	6.8060	10.88960	14.50560	0.29011	11.17971
23	SANT KABIR NAGAR	50	38.0100	5	2.8500	4.56000	35.1600	8	8.2100	13.13600	17.69600	0.35392	13.48992

[Handwritten signatures and initials]
no.
DDP

क्रं	जनपद	सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश											
		कुल चयनित लाभार्थी	कुल क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व चयनित लाभार्थियों की संख्या	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व आवंटित धनराशि (रू० लाख में)	शेष क्षेत्रफल (हे०) (3-5)	अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित किया जा रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०)	आवंटित अतिरिक्त धनराशि (रू० लाख में)	कुल आवंटित धनराशि (रू० लाख में) (6+10)	आवंटित की जाने वाली प्रशासनिक व्यय की धनराशि	जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल अतिरिक्त धनराशि (रू० लाख में) (10+12)
	(BASTI)	208	148.5540	11	7.0300	11.24800	141.5240	27	23.3420	37.34720	48.59520	0.97190	38.31910
24	CHITRAKOOT	8	10.9940	1	1.0000	1.60000	9.9940	5	6.4190	10.27040	11.87040	0.23741	10.50781
25	BANDA	32	34.0050	2	2.1700	3.47200	31.8350	5	6.2060	9.92960	13.40160	0.26803	10.19763
26	MAHABA	9	10.0580	1	0.8780	1.40480	9.1800	5	6.0810	9.72960	11.13440	0.22269	9.95229
27	HAMIRPUR	9	11.1480	2	2.3000	3.68000	8.8480	4	5.5260	8.84160	12.52160	0.25043	9.09203
	(CHITRAKOOT DHAM)	58	66.2050	6	6.3480	10.15680	59.8570	19	24.2320	38.77120	48.92800	0.97856	39.74976
28	GONDA	148	106.8530	4	1.8230	2.91680	105.0300	16	9.9940	15.99040	18.90720	0.37814	16.36854
29	BALRAMPUR	29	27.0320	3	2.3500	3.76000	24.6820	6	6.8600	10.97600	14.73600	0.29472	11.27072
30	BAHRAICH	43	42.9590	3	2.2300	3.56800	40.7290	7	6.4600	10.33600	13.90400	0.27808	10.61408
31	SHRAVASTI	57	38.9350	2	1.5000	2.40000	37.4350	5	6.1790	9.88640	12.28640	0.24573	10.13213
	(DEVIPATAN)	277	215.7790	12	7.9030	12.64480	207.8760	34	29.4930	47.18880	59.83360	1.19667	48.38547
32	KUSHI NAGAR	128	95.1630	5	3.2100	5.13600	91.9530	12	7.9890	12.78240	17.91840	0.35837	13.14077
33	GORAKHPUR	112	85.6540	5	3.2900	5.26400	82.3640	8	7.8750	12.60000	17.86400	0.35728	12.95728
34	DEORIA	99	67.3430	2	1.6510	2.64160	65.6920	13	6.3600	10.17600	12.81760	0.25635	10.43235
35	MAHARAJGANJ	106	65.9250	4	1.4900	2.38400	64.4350	11	6.3420	10.14720	12.53120	0.25062	10.39782
	(GORAKHPUR)	445	314.0850	16	9.6410	15.42560	304.4440	44	28.5660	45.70560	61.13120	1.22262	46.92822
36	JALAUN	17	19.0980	1	1.2100	1.93600	17.8880	4	5.6600	9.05600	10.99200	0.21984	9.27584
37	JHANSI	28	29.3640	2	1.1100	1.77600	28.2540	5	5.4640	8.74240	10.51840	0.21037	8.95277
38	LALITPUR	27	42.1270	1	2.0000	3.20000	40.1270	3	5.8100	9.29600	12.49600	0.24992	9.54592
	(JHANSI)	72	90.5890	4	4.3200	6.91200	86.2690	12	16.9340	27.09440	34.00640	0.68013	27.77453
39	ETAWAH	10	5.9010	2	0.7700	1.23200	5.1310	8	5.1260	8.20160	9.43360	0.18867	8.39027
40	AURAIYA	11	7.8980	2	0.7500	1.20000	7.1480	7	5.9270	9.48320	10.68320	0.21366	9.69686
41	KANNAUJ	32	26.9110	2	1.7500	2.80000	25.1610	7	6.0730	9.71680	12.51680	0.25034	9.96714
42	KANPUR NAGAR	3	3.7350	1	0.8100	1.29600	2.9250	2	2.9220	4.67520	5.97120	0.11942	4.79462
43	KANPUR DEHAT	9	8.4190	2	1.4900	2.38400	6.9290	5	5.2540	8.40640	10.79040	0.21581	8.62221
44	FARRUKHABAD	9	6.3540	1	0.8700	1.39200	5.4840	8	5.4800	8.76800	10.16000	0.20320	8.97120
	(KANPUR)	74	59.2180	10	6.4400	10.30400	52.7780	37	30.7820	49.25120	59.55520	1.19110	50.44230
45	UNNAO	34	34.5800	2	2.1700	3.47200	32.4100	6	5.7970	9.27520	12.74720	0.25494	9.53014
46	RAEBARELI	59	42.2020	2	1.8100	2.89600	40.3920	9	5.9780	9.56480	12.46080	0.24922	9.81402
47	LUCKNOW	28	22.8200	2	2.4900	3.98400	20.3300	5	6.3130	10.10080	14.08480	0.28170	10.38250
48	LAKHIMPUR KHERI	16	12.2000	1	0.8000	1.28000	11.4000	6	5.2000	8.32000	9.60000	0.19200	8.51200

Handwritten signature and initials.

क्रं	जनपद	सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश											
		कुल चयनित लाभार्थी	कुल क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व चयनित लाभार्थियों की संख्या	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व आवंटित धनराशि (रू० लाख में)	शेष क्षेत्रफल (हे०) (3-5)	अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित किया जा रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०)	आवंटित अतिरिक्त धनराशि (रू० लाख में)	कुल आवंटित धनराशि (रू० लाख में) (6+10)	आवंटित की जाने वाली प्रशासनिक व्यय की धनराशि	जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल अतिरिक्त धनराशि (रू० लाख में) (10+12)
49	SITAPUR	28	23.8240	2	1.5400	2.46400	22.2840	6	6.1120	9.77920	12.24320	0.24486	10.02406
50	HARDOI	9	11.4550	2	1.4700	2.35200	9.9850	4	5.3070	8.49120	10.84320	0.21686	8.70806
	(LUCKNOW)	174	147.0810	11	10.2800	16.44800	136.8010	36	34.7070	55.53120	71.97920	1.43958	56.97078
51	GHAZIABAD	16	21.4640	1	2.0000	3.20000	19.4640	6	6.5500	10.48000	13.68000	0.27360	10.75360
52	GAUTAM BUDDHA NAGAR	6	8.3030	1	0.9900	1.58400	7.3130	4	5.3510	8.56160	10.14560	0.20291	8.76451
53	BULANDSHAHR	12	13.5410	2	2.7500	4.40000	10.7910	6	5.2600	8.41600	12.81600	0.25632	8.67232
54	BAGHPAT	5	6.4300	1	0.5800	0.92800	5.8500	4	5.8450	9.35200	10.28000	0.20560	9.55760
55	MEERUT	9	11.8790	1	1.1800	1.88800	10.6990	4	5.0730	8.11680	10.00480	0.20010	8.31690
56	HAPUR	15	16.2080	2	1.5500	2.48000	14.6580	5	4.9090	7.85440	10.33440	0.20669	8.06109
	(MEERUT)	63	77.8250	8	9.0500	14.48000	68.7750	29	32.9880	52.78080	67.26080	1.34522	54.12602
57	AMROHA	19	17.0550	1	1.7800	2.84800	15.2750	6	6.1640	9.86240	12.71040	0.25421	10.11661
58	MORADABAD	55	38.1510	1	1.7600	2.81600	36.3910	12	6.4630	10.34080	13.15680	0.26314	10.60394
59	BUNOR	30	25.0660	1	1.6900	2.70400	23.3760	8	6.5710	10.51360	13.21760	0.26435	10.77795
60	RAMPUR	14	15.5290	2	1.8300	2.92800	13.6990	5	4.8950	7.83200	10.76000	0.21520	8.04720
61	SAMBHAL	31	20.9150	3	1.1500	1.84000	19.7650	6	6.4750	10.36000	12.20000	0.24400	10.60400
	(MORADABAD)	149	116.7160	8	8.2100	13.13600	108.5060	37	30.5680	48.90880	62.04480	1.24090	50.14970
62	PRAYAGRAJ	67	71.9930	2	3.1300	5.00800	68.8630	8	7.3790	11.80640	16.81440	0.33629	12.14269
63	KAUSHAMBI	51	40.7100	2	1.7500	2.80000	38.9600	10	6.4690	10.35040	13.15040	0.26301	10.61341
64	PRATAPGARH	26	25.5080	2	1.8700	2.99200	23.6380	6	5.2190	8.35040	11.34240	0.22685	8.57725
65	FATEHPUR	33	33.6520	2	1.6400	2.62400	32.0120	8	6.2970	10.07520	12.69920	0.25398	10.32918
	(PRAYAGRAJ)	177	171.8630	8	8.3900	13.42400	163.4730	32	25.3640	40.58240	54.00640	1.08013	41.66253
66	MUZAFFARNAGAR	10	14.0900	1	0.9300	1.48800	13.1600	3	6.0000	9.60000	11.08800	0.22176	9.82176
67	SAHARANPUR	67	65.9500	2	2.2200	3.55200	63.7300	6	6.0350	9.65600	13.20800	0.26416	9.92016
68	SHAMLI	2	1.7380	1	1.1980	1.91680	0.5400	1	0.5400	0.86400	2.78080	0.05562	0.91962
	(SAHARANPUR)	79	81.7780	4	4.3480	6.95680	77.4300	10	12.5750	20.12000	27.07680	0.54154	20.66154
69	GHAZIPUR	67	60.0130	3	1.8280	2.92480	58.1850	9	6.3460	10.15360	13.07840	0.26157	10.41517
70	CHANDAULI	11	8.0860	2	1.8500	2.96000	6.2360	9	6.2360	9.97760	12.93760	0.25875	10.23635
71	JAUNPUR	55	38.5620	2	1.8600	2.97600	36.7020	6	6.3650	10.18400	13.16000	0.26320	10.44720
72	VARANASI	24	19.4530	2	1.3680	2.18880	18.0850	9	6.4330	10.29280	12.48160	0.24963	10.54243
	(VARANASI)	157	126.1140	9	6.9060	11.04960	119.2080	33	25.3800	40.60800	51.65760	1.03315	41.64115
73	MIRZAPUR	96	88.2920	3	1.3710	2.19360	86.9210	9	9.1230	14.59680	16.79040	0.37814	14.97494

[Handwritten signatures and initials]

सुधार के ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश

क्र	जनपद	कुल व्ययित लाभाधी	कुल क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व व्ययित लाभाधियों की संख्या	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल (हे०)	पूर्व आवंटित धनराशि (₹० लाख में)	शेष क्षेत्रफल (हे०) (3-5)	अतिरिक्त व्ययित लाभाधियों की संख्या	आवंटित किता वा रद्दा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे०)	आवंटित अतिरिक्त धनराशि (₹० लाख में)	कुल आवंटित धनराशि (₹० लाख में) (6+10)	आवंटित की जाने वाली प्रशासनिक व्यय की धनराशि	जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल अतिरिक्त धनराशि (₹० लाख में) (10+12)
74	SANT RAVIDAS NAGAR	95	119.1730	2	1.5700	2.51200	117.6030	6	8.8930	14.22880	16.74080	0.35482	14.58362
75	SONBHADRA	57	65.7520	3	3.5600	5.69600	62.1920	5	6.7400	10.78400	16.48000	0.32960	11.11360
	(MINDHYACHAU)	248	273.2170	8	6.5010	10.40160	266.7160	20	24.7560	39.60960	50.01120	1.06256	40.67216
	TOTAL	2885	2460	154	125.00	200.00000	2334.6960	547	475.4520	760.72320	960.7232	19.27680	780.00000

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

दिनांक 21 मार्च 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में रू0 780.00 लाख के पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-102 / नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 27 फरवरी 2023 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में से रू0 780.00 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख में हो रही बचत में से अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 780.00 लाख (रू0 सात करोड अस्सी लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- (1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- (5) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (6) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।
- (7) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाल व्यय ₹ 780.00 लाख (₹ 780 करोड़ अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या -बजट-1- 538 दिनांक 19.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 11 /2023 / 235 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- (2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) संयुक्त निदेशक / उप निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- (4) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- (5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2 / नियोजन अनुभाग-3।
- (7) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20222023-17-1002-099-3-2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक: 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित धनराशि ₹0 4000.00 लाख में से ₹0 780.00 लाख (₹0 सात करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग अनुदान सं0-17, लेखाशीर्षक-2405, मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001018904 (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)-)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	40,00,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	18,29,45,310 रुपये अठारह करोड़ उन्तीस लाख पैतालीस हजार तीन सौ दस मात्र	7,80,00,000 रुपये सात करोड़ अस्सी लाख मात्र	7,80,00,000/-	32,20,00,000/-	2022-2023
कुल						₹ 7,80,00,000	₹ 32,20,00,000/-	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001010500 (मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	7,80,00,000 रुपये सात करोड़ अस्सी लाख मात्र	7,80,00,000/-	9,80,00,000/-	2022-2023
कुल				₹ 7,80,00,000	₹ 7,80,00,000/-	9,80,00,000/-	

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- ऑकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

- File No. 17-1902/0999/3/2023 द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में निमित्त व्ययता के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

संख्या: -2022-23, दिनांक- फरवरी, 2023



(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

सेवा में,
निदेशक मत्स्य,
उ०प्र० लखनऊ।

Signed by नीलेश कुमार सिंह

Date: 18-03-2023 12:17:23


Reason: Approved

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।
अनु सचिव।

संख्या: / , दिनांक- फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ०प्र०।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/ नियोजन अनु०-3
- 8 - गार्ड फाइल।



आज्ञा से
(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।